I/179276/2024

03/01/24

ई पत्र संख्या– 179276 /XV-I/23/6(3)22/35602

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01

देहरादून : दिनॉक 03 जनवरी दिसम्बर, 2024।

विषय : मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके ई पत्र संख्याः 8720/2023/पशुधन–तीन/SLM/2023–24 दिनांकः 05.12.2023 के क्रम में शासनादेश संख्याः 163931/XV-I/23/6(3)22/35602 दिनांकः 30 अक्टूबर, 2023 द्वारा निर्गत मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन की कार्ययोजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

पूर्ववत् प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.2 बड़े पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम– डेरी उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्धकराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 05 गाय इकाई, 05 भैंस इकाई, 10 गाय इकाई एवं 10 भैंस इकाई की 250–250 इकाईयां कुल 1000 इकाईयां तथा एक खच्चर व दो खच्चर की क्रमशः 500 एवं 250 कुल 750 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।	बड़े पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम–डेरी उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 05 गाय इकाई, 02 भैंस इकाई, 10 गाय इकाई एवं 05 भैंस इकाई की 250–250 इकाईयां कुल 1000 इकाईयां तथा एक खच्चर व दो खच्चर की क्रमशः 500 एवं 250 कुल 750 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
1.2 छोटे पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम– भेड़–बकरी उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 5+1 व 10+1 की क्रमशः 100 व 500 कुल 1500 इकाईयां तथा सूकर 5+1 व 10+1	छोटे पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम– भेड़–बकरी उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 5+1 व 10+1 की क्रमशः 1000 व 500 कुल 1500 इकाईयां तथा सूकर 5+1 व 10+1 की कुल 200 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

I/179276/2024

की कुल 200 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।	
1.2 **कुक्कुट पालन उद्यमिता विकास**--कुक्कुट उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत Commercial Layer फार्म 1000 पक्षियों के 250 इकाईयां व Small Layer कुक्कुट पक्षियां 250 के 500 कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।	**कुक्कुट पालन उद्यमिता विकास**--कुक्कुट उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत Commercial Broiler फार्म 1000 पक्षियों के 250 इकाईयां व Small Commercial Layer फार्म कुक्कुट पक्षियां 250 के 500 कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।
1.2 **प्रोजेक्ट प्रबन्धन इकाई**--योजना के प्रभावी क्रियान्वयन / संचालन एवं अनुश्रवण योजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत धनराशि से राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तर पर एम0आई0एस0 सेल के माध्यम से किया जायेगा।	विलोपित
1.5 लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत विभाग द्वारा बनाये गये समर्पित पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जायेगा, जिस हेतु लाभार्थी को निर्धारित प्रारूप पर पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।	योजनान्तर्गत विभागीय पोर्टल बनने तक लाभार्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करेगें तत्पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगें।
1.5 सर्वप्रथम लाभार्थी का आवेदन लाभार्थी द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृति के सहमति पत्र के साथ जिला स्तर पर स्थापित जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) को प्रदर्शित होगी। तत्पश्चात डी0एल0आई0ए0 द्वारा आवेदन की जांच पश्चात अनुमोदित अन्तम सूची राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई	सर्वप्रथम लाभार्थी का आवेदन लाभार्थी द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृति के सहमति पत्र के साथ जिला स्तर पर स्थापित जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) को प्राप्त होगी। जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आई0ए0) द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच पश्चात पात्र आवेदनों की सूची तैयार की जायेगी।

I/179276/2024

(एस0एल0आइ0ए0) को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।	
1.5 जनपद स्तरीय समिति द्वारा समस्त प्राप्त आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त एस0एल0आई0ए0 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी।	जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) द्वारा समस्त प्राप्त आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
1.5 जिला स्तर से अनुमोदित सूची (लाभार्थी का आवेदन–पत्र) राज्य स्तर पर स्थापित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (एस0एल0आइ0ए0) को प्रदर्शित होगी। तत्पश्चात एस0एम0आई0ए0 द्वारा आवेदन की जांच उपरान्त सम्बन्धित के बैंक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जांच एवं ऋण सस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।	जिला स्तर से अनुमोदित सूची जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) द्वारा लाभार्थी के आवेदन–पत्र सहित सम्बन्धित बैंक के माध्यम से जांच एवं ऋण सस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
1.5 राज्य क्रियान्वयन समिति– योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक पशुपालन विभाग के कार्यालय को नामित किया जायेगा, जिनके सहयोगार्थ उन के द्वारा नामित अधिकारी/ कर्मचारी कार्य करेगे। इस योजना के सम्पूर्ण अभिलेखों का रख रखाव आदि का दायित्व पशुपालन निदेशालय उत्तराखण्ड का होगा। एस0एल0आई0ए0 द्वारा राज्य स्तरीय अधिशासी समिति को समस्त आवेदन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने होंगे।	विलोपित
1.5 राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति द्वारा आवेदन की जांच पश्चात सम्बन्धित के बैंक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जांच एवं ऋण सस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।	
1.5 राज्य क्रियान्वयन समिति का कार्यालय पशुपालन निदेशालय देहरादून में स्थापित होगा	राज्य अनुश्रवण समिति का कार्यालय पशुपालन निदेशालय देहरादून में स्थापित होगा तथा निदेशक, पशुपालन के नियंत्रणाधीन समिति योजना की प्रगति का अनुश्रवण का कार्य

तथा निदेशक, पशुपालन के नि यंत्रणाधीन कार्य करेगी। राज्य स्तरीय क्रियान्यवन समिति की स्थापना में पशुपालन विभाग ए वं आउटसोर्स के माध्यम से का र्मिक पदस्थ किये जायेगें, जिस हेतु परियोजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से परि योजना के अन्तर्गत धन की व्य वस्था की जायेगी। उक्त धनरा शि को एस0एल0आई0ए0 के संचालन हेतु व्यय किया जाये गा। एस0एल0आई0ए0 के क्रि यान्वयन हेतु व्यवसायिक एजेन्सी को आर0एफ0पी0 के माध्य म से (जैम पोर्टल पर) नियमानु सार किया जायेगा।	करेगी तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर योजना संचालित कर वायेगी।
1.5 बैंक द्वारा अपनी संस्तुति के पश्चात आवेदनकर्ता के आ वेदन को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तरीय अधिशासी समिति (एस0एल0ई0सी0) के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा येगे। एस0एल0ई0सी0 के अनु मोदन उपरान्त आवेदनकर्ता का आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु आवेदनकर्ता के बैंक को प्रेषित किया जायेगा।	विलोपित

2. योजना संचालित किए जाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजनाः–

क्र.सं.	गतिविधि	समय सारणी	अभियुक्ति	
अ	**राज्य एवं जनपद स्तरीय लाभार्थीपरक योजना हेतु समय सीमा।**			
1	एस0एल0आई0ए0 के ग ठन एवं इस हेतु अधिक ारियों /कर्मचारियों का चिन्हाकन एवं कार्य आवंटन।	10 दि न	पशुपालन वि भाग	
2	जनपदीय परियोजना ि क्रयान्यन इकाई की स्थापना एवं इस हेतु अि धकारियों/ कर्मचारियों	15 दि न	पशुपालन वि भाग से प्रति नयुक्ति पर /संविदा पर	

I/179276/2024

	का चिन्हाकन एवं कार्य आवंटन।			विलोपित
3	व्यावसायिक एजेन्सी की सेवाओं हेतु आर0एफ0ई0 एवं एजेन्सी का चयन।	एक से दो माह	जैम पोर्टल से निविदा आमंत्रण की जायेगी।	
4	व्यवसायिक एजेन्सी द्वारा समर्पित पोर्टल विकसित करना।	एक माह	नियुक्त होने से एक माह के भीतर।	
5.3	राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई द्वारा आवेदन को परीक्षणोपरांत ऋण संस्तुति सहित संबंधित बैंक को प्रेषित की जायेगी।	—	—	जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई(डी0एल0आइ0ए0) द्वारा आवेदन को परीक्षणोपरांत ऋण संस्तुति सहित संबंधित बैंक को प्रेषित की जायेगी।
5.4	बैंक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में लाभार्थी के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान की धनराशि की सूचना बैंक द्वारा एस0एल0 आई0ए0 को उपलब्ध कराई जायेगी।	—	—	बैंक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में लाभार्थी के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान की धनराशि की सूचना बैंक द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) को उपलब्ध कराई जायेगी।
5.5	एस0एल0आई0ए0 द्वारा उक्त धनराशि का बिल तैयार कर कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।	—	—	जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) द्वारा उक्त धनराशि का बिल तैयार कर कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

4. योजना का अनुश्रवण/संचालन– योजना का अनुश्रवण सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पाक्षिक आधार पर किया जायेगा तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय 10 प्रतिशत लाभार्थियों का अनुश्रवण किया जायेगा।	योजना का संचालन वर्तमान में ऑफलाइन मोड में किया जायेगा। विभागीय पोर्टल के सुचारू रूप से संचालित होने के उपरान्त लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन/पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
5. योजना का वित्तीय उपाशय– योजनान्तर्गत पशुचिकित्सालयों का कम्प्यूटरीकरण, वैक्सीनों के लिये कोल्ड चेन प्रबन्धन, डेयरी उद्यमिता विकास हेतु डेयरी इकाईयों की स्थापना, भार वाहक पशुओं (खच्चर) की इकाईयों की स्थापना, भेड़ एवं बकरी इकाईयों	**योजना का वित्तीय उपाशय–** योजनान्तर्गत पशुचिकित्सालयों का कम्प्यूटरीकरण, वैक्सीनों के लिये कोल्ड चेन प्रबन्धन, डेयरी उद्यमिता विकास हेतु डेयरी इकाईयों की स्थापना, भार वाहक पशुओं (खच्चर) की इकाईयों की स्थापना, भेड़ एवं बकरी इकाईयों की स्थापना, सूकर इकाईयों की स्थापना, कुक्कुट विकास सब–मिशन, कौशल विकास, तकनीकी स्थानान्तरण और प्रसार कार्य सब–मिशन हेतु वित्तीय उपाशय निहित है।

I/179276/2024

की स्थापना, सूकर इकाईयों की स्थापना, कुक्कुट विकास सब–मिशन, कौशल विकास, तकनीकी स्थानान्तरण और प्रसार कार्य सब–मिशन हेतु वित्तीय उपाशय की आवश्यकता है। इसके साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन/संचालन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य पर राज्य स्तरीय एम0आई0एस0 सेल एवं जनपद स्तर पर जनपदीय एम0आई0एस0 सेल के गठन एवं एस0आई0ए0 के कार्य सम्पादन हेतु कुल योजना लागत का 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय उपाशय प्रस्तावित है।	

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त कार्ययोजना का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। शासनादेश संख्याः 163931/XV-I/23/6(3)22/35602 दिनांकः 30 अक्टूबर, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Signed by Rajendra Kumar Bhatt
Date: 02-01-2024 17:48:07

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

ई संख्याः 179276 /XV-I/23/6(3)22/35602 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल/कुमॉऊ मण्डल।
4. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मदनलाल)
अनु सचिव।